कम्प्यूटर परिपत्र सं0 0809026

पत्रसं0-चे0पो0-25क-परिपत्र /2008/ 277 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 19 मई , 2008

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / वि0अनु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य)

डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर /

चेक पोस्ट, सचलदल, वि0अनु0शा0,कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0

<u>वाणिज्य कर अधिकारी , उ0प्र0 ।</u>

Key word 1-13-Administrative / Genral Direction

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या- चे0पो0 25क- 05-06 / 3088 / वाणिज्य कर दिनांक 10-03-06व परिपत्र संख्या - चे0पो0- 07-08 / 1048 / वाणिज्य कर दिनांक 24-08-07 का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

2- परिपत्र संख्या- 3088 दिनांक 10-03-2006 से कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रसंख्या - 754 / 37-2-2006-3(93)/05 दिनांक 24-02-2006 की प्रति प्रेषित करते हुए पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये हैं कि प्रदेश के बाहर से कोई मरे हुये अथवा संक्रमित पोल्ट्री प्रोडक्टस प्रदेश में न आने पाये । यदि कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो उसे तत्काल रोकते हुये सभी सम्बन्धित को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

3- परिपत्र संख्या- 1048 दिनांक 24-08-2007 से निम्न निर्देश दिए गये हैं :-

प्रदेश की सीमाओं पर स्थित जांच चौकियों पर जब भी पोल्ट्री एवं उसके उत्पादों से सम्बन्धित वाहन आयें उनकी गहन निगरानी / चेकिंग कर उनके प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए , जिससे बाहर से मरे हुए अथवा संक्रमित पोल्ट्री प्रोडक्टस प्रदेश में न आ सके ।

4- शासन के पत्र संख्या- क0नि0-3-1305 / 11-3-2008-9 (13) / 2008 दिनांक 29-04-2008 से यह अवगत कराया गया है कि दिनांक 21-04-2008 को उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी चेकपोस्टों पर गहन / सतत निगरानी / चेकिंग कर पोल्ट्री एवं उनके उत्पादों को प्रवेश की अनुमति दी जाए तथा इस सम्बन्ध में पूर्व परिपत्र संख्या- 3088 दिनांक 10-03-2006 व परिपत्र संख्या- 1048 दिनांक 24-08-2007 द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी रखा जाए ।

5- इस संबध में निर्देशित किया जाता है कि कृपया शासन की अपेक्षा के अनुरूप परिपत्र संख्या- 3088 दिनांक 10-03-2006 एवं परिपत्र संख्या- 1048 दिनांक 24-08-2007 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए सभी चेकपोस्टों पर गहन / सतत निगरानी / चेकिंग कर पोल्ट्री एवं उनके उत्पादों को प्रवेश की अनुमति दी जाए ।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

<u>पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-3),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्रसंख्या- क0नि0-3-1305 / 11-3-2008-9 (13) / 2008 दिनांक 29-04-2008 के संदर्भ में ।
2. प्रमुख सचिव , पशुधन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
3. अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।
4. समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ ।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
7. चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त

19.5.08

ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0 पो 0) वाणिज्य कर,

मुख्यालय , लखनऊ